भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4705

28 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

रक्षा बलों में निःशक्तता पेंशन पात्रता

4705. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा बलों में निःशक्तता पेंशन पात्रता का ब्यौरा क्या है, इसके मानदंड क्या हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की तुलना में कुल परिलब्धियों का प्रतिशत क्या है ; और

(ख) रक्षा बलों में शहीदों के आश्रितों को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता तथा अन्य अधिकारों का ब्यौरा क्या है तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों में निर्दिष्ट मानदंडों की तुलना में इसके मानदंड क्या हैं ?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संजय सेठ)

(क): निःशक्तता पेंशन उन सैन्य कार्मिकों को दी जा सकती है, जिन्हें उनकी सेवा की अवधि पूर्ण होने से पूर्व किसी ऐसी निःशक्तता के कारण सेवा से मुक्त कर दिया जाता है, जो सैन्य सेवा के कारण उत्पन्न हुई हो या उससे बढ़ी हो ।

निःशक्तता पेंशन में एक सेवा घटक शामिल है जिसके लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की आवश्यकता नहीं है और निःशक्तता घटक का मूल्यांकन निःशक्तता की सीमा के आधार पर किया जाता है ।

निःशक्तता पेंशन के निःशक्तता घटक का आकलन 100% निःशक्तता के लिए अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धि के 30% की दर पर किया जाता है । 100% से कम

निःशक्तता के लिए निःशक्तता घटक की दर मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कम कर दी जाती है ।

उदारीकृत निःशक्तता पेंशन उन सैन्य कार्मिकों को दी जा सकती है, जो आतंकवादियों/असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हिंसक कृत्यों/हमला जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण निःशक्त हुए हैं । उदारीकृत निःशक्तता पेंशन किसी भी मामले में, अंतिम आहरित गणना योग्य परिलब्धि के 80% से कम नहीं होगी, चाहे कार्मिक की अर्हक सेवा कितनी भी क्यों न हों ।

युद्ध क्षति पेंशन उन सैन्य कार्मिकों को दी जा सकती है जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में अथवा युद्ध जैसी स्थितियों में दुश्मनों की कार्रवाई जैसी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण निःशक्त हुए हैं । सेवा घटक जो आजीवन देय है, सेवानिवृत्ति पेंशन अर्थात अंतिम आहरित परिलब्धि के 50% के समान होगा । 100% निःशक्तता के लिए युद्ध क्षति घटक की दर अंतिम आहरित परिलब्धियों की 100% होगी । निःशक्तता के कम प्रतिशतता की स्थिति में इस धनराशि को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कम कर दिया जाएगा ।

मंत्रालय में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की रक्षा सेनाओं में परिलब्धि और निःशक्तता पेंशन पात्रता से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता ।

(ख): रक्षा मंत्रालय द्वारा 'शहीद' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता । सैन्य कार्मिकों द्वारा कर्तव्य-निर्वहन के दौरान अपना जीवन त्याग देने की स्थिति में, परिस्थितियों के आधार पर, उनके आश्रितों को सामान्य परिवार पेंशन, विशिष्ट परिवार पेंशन और उदार परिवार पेंशन प्रदान की जाएगी ।

इसके अलावा, दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी, दिवंगत रक्षा सैन्य कार्मिक के निकटतम संबंधी को अनुग्रही एकमुश्त मुआवजे की मौजूदा दर अनुबंध (तालिका 1) पर दी गई है ।

दिवंगत सैन्य कार्मिक द्वारा शौर्य पुरस्कार प्राप्त करने की स्थिति में, दिनांक 01.08.2017 से प्रभावी शौर्य पुरस्कार से जुड़े वित्तीय भत्ते की मौजूदा दर अनुबंध (तालिका 2) पर दी गई है ।

मंत्रालय में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, चीन, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देशों की रक्षा सेनाओं में रक्षा कार्मिकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता और अन्य पात्रताओं से संबंधित कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता ।

"रक्षा बलों में निःशक्तता पेंशन पात्रता" के बारे में लोक सभा में दिनांक 28.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न सं. 4705 के भाग 'ख' के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

तालिका 1: निकटतम संबंधी को अनुग्रही एकमुश्त मुआवजे की मौजूदा दर

क्र.सं.	परिस्थिति	दर
1.	कर्तव्य-निर्वहन के दौरान दुर्घटना होने से मृत्यु	25 लाख
2.	कर्तव्य-निर्वहन के दौरान आतंकवादियों, असामाजिक तत्वों आदि द्वारा हिंसा के कारण मृत्यु	25 लाख
3.	सीमा पर मुठभेड़ और लड़ाकू, आतंकवादी, उग्रवादी, समुद्री लुटेरों के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान मृत्यु	35 लाख
4.	विनिर्दिष्ट ऊंचाई वाले क्षेत्रों, अगम्य सीमा पोस्ट पर ड्यूटी के दौरान प्राकृतिक आपदाओं, बेहद खराब मौसम आदि के कारण मृत्यु	35 लाख
5.	युद्ध अथवा युद्ध-समान स्थितियों में शत्रु की कार्रवाई, जैसा रक्षा मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है, एवं किसी विदेशी राष्ट्र में युद्ध-बाधित क्षेत्र से भारतीय नागरिकों को बचाने के दौरान मृत्यु	45 लाख

तालिका 2: वीरता पुरस्कार से जुड़े वित्तीय भत्ते

क्र.सं.	वीरता पुरस्कार	वित्तीय भत्ते (रुपए प्रतिमाह)
1.	परम वीर चक्र (पीवीसी)	20,000
2.	अशोक चक्र (एसी)	12,000
3.	महा वीर चक्र (एमवीसी)	10,000
4.	कीर्ति चक्र (केसी)	9,000
5.	वीर चक्र (वीआरएस)	7,000
6.	शौर्य चक्र (एससी)	6,000
7.	सेना/नौसेना/वायु सेना मेडल (शौर्य)	2,000

*****